

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15 (22) 2024 / कार्मिक-भर्ती / प्रमुवसं-09531

--:: कार्यालय आदेश ::--

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 3 (1) 2016 / मृ.आ. / कार्मिक / प्रमुवसं / 636 दिनांक 12.06.2024 द्वारा मृतक आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रकरणों में वनपाल / वनरक्षक के पद पर सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने हेतु राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 के नियम 23 के अन्तर्गत गठित समिति हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में अधिकारियों को मनोनीत किए जाने के आदेश प्रसारित किए गए हैं।

इस कार्यालय का उक्त आदेश क्रमांक 636 दिनांक 12.06.2024 **वनपाल एवं वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा** में चयनित अभ्यर्थियों के शारीरिक उपयुक्तता और शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु भी आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

(अरिजीत बनर्जी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 15 (22) 2024 / कार्मिक-भर्ती / प्रमुवसं-09531

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर / अजमेर / कोटा / बीकानेर / उदयपुर / भरतपुर / जोधपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) उदयपुर / जयपुर / जोधपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य जयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव एवं क्षेत्र निदेशक मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व, कोटा / वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का, अलवर / वन संरक्षक वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर।
5. उप वन संरक्षक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेब साईट पर प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप वन संरक्षकगण
7. रक्षित पत्रावली।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
8644373



Signature valid

Digitally signed by Arijit Banerjee
Designation: Principal Chief
Conservator Of Forest
Date: 2024.07.04 19:08:51 IST
Reason: Approved